कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई(छ0ग0)

email id- deokcg@gmail.com

ज्ञाप क्रमांक/ 550 /अशा./अनु.मान्यता. /2024–25, खैरागढ़, दिनांक :– 29.01.2025

प्रति,

प्रबंधक, अध्यक्ष/सचिव,
न्यू हैण्डस सेवा संस्थान, खैरागढ़
जिला– खैरागढ़ छुईखदान गण्डई (छ0ग0)

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में पश्चातवर्ती पत्राचार/विद्यालय निरिक्षण के उपरान्त मैं **माईलस्टोन पब्लिक स्कूल खैरागढ़, जिला– खैरागढ़ छुईखदान गण्डई (छ0ग0)** को **कक्षा– नर्सरी से दसवीं** (अंग्रेजी माध्यम) कक्षाओं तक मान्यता नवनीकरण करते हुए, शाला संचालन हेतु दो शिक्षा सत्रों की अवधि के लिए जो दिनांक 01/04/2024 से 31/03/2026 तक प्रभावशील रहेगा, शाला संचालन हेतु करतविभागीय अनुमति/अनंतिम मान्यता प्रदान करने के लिये संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अधीन हैं :–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 10वीं के पश्चात् की मान्यता/संबद्धता के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों को अनुपालन किया जाएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उनके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चें को उसकी आयु के सबुत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–
   - प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चें को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
   - किसी भी बच्चें को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी हाने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई(छ0ग0)

email id- deokcg@gmail.com

- अध्यापको की भर्ती, अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है, 5वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता अर्जित करेंगे।
- अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अतिंम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:–
    - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, कुल निर्मित का क्षेत्र
    - खेल के मैदान का क्षेत्रफल
    - कक्षाओं की संख्या
    - प्रधान पाठक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार के लिए कक्ष
    - बालिकाओं और बालक के लिए पृथक शौचालय, पेय जल सुविधा
    - अध्यापन पठन समाग्री/क्रीड़ा खेलकूद के संसाधन/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।
11. विद्यालयों को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) की अधीन रजिस्ट्रीकृत अधीन रजिस्ट्रिकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं।?
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जावेगा।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड क्रमांक संख्या....Kg-40....हैं। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने यसा विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुासर अन्य शर्तो की पूर्ति।
18. इन सभी शर्तो के उल्लंघन होने पर मान्यता स्वमेय निरस्त मानी जावेगी।

29.01.2025

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला– खैरागढ़ छुईखदान गण्डई (छ0ग0)